प्रकरण संख्या 21/2018 नानालाल बनाम श्रीमती केशी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.01.2020	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 8 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए प्रस्तुत किया गया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 19.06.2017 से स्वीकार किया जाकर ग्राम धनेरिया की आराजी नंबर 2189 के दक्षिण दिशा के पूर्व से पश्चिम लम्बाई 45 गठ्ठा एवं चौडाई 2 गठ्ठा कुल रकबा 0–04–10 को बिलानाम रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 3 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 24.09.2018 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 8 की ओर से वकील श्री उदयलाल कुमावत उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा दफा 5 का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की प्रथम बार जानकारी दिनांक 23.08.2018 को तहसीलदार के सूचना पत्र से हुई। जानकारी होते ही अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन का अवलोकन करने पर हमने पाया कि प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखे जाने की किसी प्रकार की सूचना अपीलान्ट को दिया जाना प्रकट नहीं होता है। अतः न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि राजस्व कैम्प की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गयी, जिससे वह मौके पर उपस्थित नहीं हो सके। अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार को मौका रिपोर्ट हेतु नियुक्त किया गया था, जबकि मौका पर्चा पटवारी हल्का एवं आर.आई. द्वारा तैयार किया गया है, जो	

त्रुटि पूर्ण है। उक्त एकपक्षीय मौका पर्चे का कानूनन कोई महत्व नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि पर्चा मौका पटवारी एवं आर. आई. द्वारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बनाया गया है तथा राजस्व कैम्प की सूचना अपीलान्ट को दिये जाने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.06.2017 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर विधि के आलोक में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.03.2020 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.02.11 15:42:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: